न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 454 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 श्री अब्दुलकरीम उर्फ करीम पुत्र खींहरा जाति सिंधी मुसलमान निवासी सोढ़ाणी मुसलमानों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेरर		1. श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री देवीचन्द पत्नि श्री वीरचन्द जाति जैन निवासी डोला डूंगरी, जूना किराडू मार्ग तहसील व जिला बाड़मेर 2. श्री नजीर खान पुत्र श्री अब्दुलकरीम उर्फ करीम जाति सिंधी मुसलमान निवासी सोढ़ाणी मुसलमानों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 3. राज्य सरकार, राजस्थान जरिये भूमिपति तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री हनीफ खां, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 29/08/2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा चन्दाणियों की ढ़ाणी के (ग्राम बान्दरा से विभाजित) खसरा नम्बर 362 (नवीन ख.नं. 545 / 362) रकबा 257.02 बीघा में प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि हिस्से में 5 / 26 (988 / 5142) अर्थात 49.08 बीघा (7.9967 हैक्टेयर) भूमि संवत 2059 से 2062 तक राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। प्रार्थी ने उक्त खरीदी हुई संयुक्त खातेदारी की जमीन खेत खसरा नम्बर 545 / 362 रकबा 49.08 बीघा (7.9967 हैक्टेयर) बा.दोयम में से 6.00 बीघा (0.9712 हैक्टेयर) भूमि का कवास से नागाणा डामर सड़क पर जरिये विक्रय पत्र के दिनांक 17.03.2005 को खरीददार श्रीमती शान्तीदेवी धर्मपत्नी श्री देवीचन्द जाति जैन निवासी चौहटन को बेचान किया व बेचान के अनुसार मौके पर कब्जा करवाया। प्रार्थी द्वारा खरीदी हुई भूमि में से संयुक्त रूप से ओ. एन.जी.सी.एल. कम्पनी द्वारा भूमि अवाप्त करने से प्रार्थी व खातेदार श्रीमती शान्तीदेवी धर्मपत्नी श्री देवीचन्द जाति जैन निवासी चौहटन की भूमि संयुक्त होने से आनुपातिक रूप से 0.05 बीघा (5 बिस्वा) कम हुई। जिसका नामान्तरकरण सं. 137 दिनांक 17.12.2007 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद की गई थी। उसके बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बाड़मेर में भूमि विभाजन हेतु दर्ज वाद संख्या 284 / 2005 के निर्णय दिनांक 31.01.2008 की पालना में नामान्तरणकरण संख्या 149 दिनांक 10.03.08 भरा जाकर नामान्तरणकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम की गई। खेत खसरा नम्बर 545 / 362 रकबा 05.15 बीघा (0.9308 हैक्टेयर) भूमि को श्रीमती शान्तीदेवी धर्मपत्नी श्री देवीचन्द जाति जैन निवासी चौहटन ने दिनांक 30.05.2017 को अपनी पुत्री श्रीमती लीलादेवी पुत्री श्री देवीचन्द पत्नि श्री वीरचन्द जाति जैन निवासी जूना किराडू मार्ग, डोला [illegible] तहसील व जिला बाड़मेर को जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा बक्शीश की जाकर आवेद[illegible] संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के नक्शे के अनुसार विप्रार्थी सं. 01 का कब्जा [illegible] में कवास से वाया नागाणा, चौखला जाने वाली सड़क की [illegible] में नक्शा [illegible] ट्रेस में अंकित तरमीम के बाद सन् 2006 में भयंकर बाढ़ आ जा[illegible] डामर सड़क बाढ़ में [illegible] थी व लगभग सन् 2013 में उक्त कवास से नागाणा वा[illegible] चौखला की पूर्व की [illegible] सड़क की जगह को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परिवर्तन करते हुए थोड़ी दूरी पर उससे भिन्न स्थान पर डामर सड़क का निर्माण किया गया। इस प्रकार उक्त नयी सड़क का निर्माण होने से नक्शा लठ्ठा ट्रेस में दर्ज तरमीम व मौके पर स्थित सड़क की स्थिति में भारी भिन्नता होने व सड़क नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित अनुसार मौके पर न होकर अन्य स्थल पर उक्त खातेदारी खेत के खातेदारों की खातेदारी भूमि में निकाली गई। इस प्रकार मौके की स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashaarth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

व राजस्व अभिलेख (नक्शा लठ्ठा ट्रेस) की स्थिति में भिन्नता होने से इस सम्बन्ध में खातेदार मोहम्मद वगेरा बनाम ओ.एन.जी.सी.एल व अन्य राजस्व आवेदन संख्या 07/2015 निर्णय दिनांक 16.04.2018 के अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 545/362 में से बेचान होने से प्रार्थी का नया खसरा नम्बर 688/362 रकबा 18.00 बीघा (2.9138 हैक्टेयर) बा.दोयम की भूमि की तरमीम प्रार्थी के कब्जा अनुसार नहीं कर गलत तरमीम की गई। मौजा सोढ़ाणी मुसलमानों की ढाणी के खसरा नम्बर 546/362 किस्म गैर मुमकिन सड़क का क्षेत्रफल 07.12 बीघा (1.2302 हैक्टेयर) हैं। उक्त खसरा नम्बर 546/362 क्षेत्रफल के अनुसार कवास से नागाणा सड़क की चौड़ाई कुल 100 फीट हैं। खेत खसरा नम्बर 545/362 वर्तमान खसरा नम्बर 688/362 रकबा 17.00 बीघा (2.7519 हैक्टेयर) भूमि में से 14.00 बीघा (2.2663 हैक्टेयर) भूमि को प्रार्थी (श्री अब्दुल करीम) ने दिनांक 19.12.2022 को अपने पुत्र श्री नजीरखान पुत्र श्री अब्दुलकरीम उर्फ करीम जाति सिंधी मुसलमान निवासी सोढ़ाणी मुसलमानों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा बक्शीश की गई। जिसका नामान्तरणकरण संख्या 98 दिनांक 20.02.2023 को स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जिसके खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया एवं 03.00 बीघा (0.4856 हैक्टेयर) भूमि प्रार्थी श्री अब्दुलकरीम के नाम शेष रही। जिसके खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर अनुसार विप्रार्थी सं. 02 का कब्जा काश्त हैं। ग्राम सोढाणी मुसलमानो की ढाणी के खसरा नम्बर 545/362 क्षेत्रफल 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर उक्त समस्त खसरान की नक्शा लट्ठा ट्रेस की वर्तमान तरमीम मौके के अनुसार नहीं होकर अशुद्ध तरमीम होने से खातेदारों के मध्य विवाद होने क कारण यह आवेदन तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सोढाणी मुसलमानो की ढाणी के खसरा नम्बर 545/362 क्षेत्रफल 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 546/362 गै.मु. सड़क की राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत तरमीम को निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ' के अनुसार तरमीम लठ्ठा ट्रेस में एवं ऑनलाईन दुरस्त करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01 व 02 ईकतरफा। प्रकरण में तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/2025/1148 दिनांक 01.07.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा सोढाणी मुसलमानो की ढाणी के खसरा नम्बर 545/362 क्षेत्रफल 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 546/362 रकबा 1.2663 हैक्टेयर गै.मु. सड़क की भूमि की राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं ऑनलाईन भू-नक्शा की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है। खातेदारो की सहमति, मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार प्रस्तावित [illegible] का परिशिष्ट ''अ'' बनाया गया है, जिसके अनुसार खातेदार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। खसरा संख्या 546/362 गै.मु सड़क की भूमि पर खसरा संख्या 545/362 की चौड़ाई [illegible] अर्थात 206 फुट तथा खसरा संख्या 793/688 की चौड़ाई 10 गट्ठा अर्थात 66 फुट है। उक्त खसरों की भूमि मौके पर खाली है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। जिसकी तरमीम परिशिष्ट ''अ'' अनुसार शुद्ध की जानी उचित बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:07 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मौजा सोढाणी मुसलमानो की ढाणी के खसरा नम्बर 545/362

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्षेत्रफल 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 546/362 रकबा 1.2663 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ' के अनुसार दुरस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2059–2062, नामान्तरकरण सं0 102, 137, 149,70,98 व नक्शा का अवलोकन किया गया तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं संलग्न परिशिष्टों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा सोढाणी मुसलमानो की ढाणी के खसरा नम्बर 545/362 क्षेत्रफल 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 546/362 रकबा 1.2663 हैक्टेयर गै.मु. सड़क की भूमि की राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं ऑनलाईन भू–नक्शा की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है। खातेदारो की सहमति, मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार प्रस्तावित तरमीम का परिशिष्ठ ''अ'' बनाया गया है, जिसके अनुसार खातेदार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार होने से दुरस्त करना उचित बताया है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा सोढाणी मुसलमानो की ढाणी के खसरा नम्बर 545/362 क्षेत्रफल 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 546/362 रकबा 1.2663 हैक्टेयर गै.मु. सड़क की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा सोढाणी मुसलमानो की ढाणी के खसरा नम्बर 545/362 क्षेत्रफल 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/688 क्षेत्रफल 2.2663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793/688 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 546/362 रकबा 1.2663 हैक्टेयर गै.मु. सड़क की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashartha Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:07 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 29/08/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर